

हिंदी भाषा-साहित्य शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता एक अध्ययन

लालचंद राम*

पाठ्यपुस्तक की भाषा को विद्यार्थी की संवेदना और परिवेश की भाषा होना चाहिए। भाषा पाठ्यपुस्तक को देखकर विद्यार्थी को लगे कि वह उसकी संवेदना के निकट है। पाठ्यपुस्तकों में चित्रित समाज और परिवेश विद्यार्थी के समाज और परिवेश के निकट दिखाई पड़े। भाषा अध्ययन में जितनी भूमिका पुस्तकों की है उतनी ही उसके शिक्षण-प्रशिक्षण की भी है। प्रस्तुत शोध पत्र में *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* को दृष्टि में रखते हुए हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। शोध अध्ययन में केंद्रीय विद्यालयों तथा राजकीय विद्यालयों (उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश) के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की अवधारणा, शैक्षिक प्रक्रिया तथा उनकी आवश्यकताओं के बारे में प्रश्नावली साक्षात्कार लक्ष्य समूह चर्चा और पाठ्यपुस्तक विश्लेषण के माध्यम से शोध किया गया। शोधपत्र में हिंदी भाषा अध्ययन अध्यापन के प्रति विद्यार्थियों की उदासीनता के कारणों को समझने और उसके निवारण को जानने का प्रयास किया गया है। वर्तमान शैक्षिक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप हिंदी भाषा शिक्षण-प्रशिक्षण को किस प्रकार आधुनिक और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, इस पर भी लेख में विचार किया गया है।

भाषा के बिना कोई भी विषय और अनुशासन अधूरा है। भाषा के ज्ञान और समझ के बिना विषय का ज्ञान और उसकी समझ भी नहीं बन सकती। इसलिए कहा जाता है कि भाषा शिक्षण का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। जिन विद्यार्थियों को शिक्षा की दुनिया में आना है, सीखना है और आगे बढ़ना है उनके लिए भाषा का ज्ञान प्रमुख है। भाषा शिक्षण बेहतर तब होगा, जब भाषा की पाठ्यपुस्तकें बेहतर होंगी— जब वे विद्यार्थियों की उम्र, रुचि और योग्यता के अनुरूप होंगी। भाषा शिक्षण की यह प्रक्रिया तब तक आगे नहीं

बढ़ सकती जब तक विद्यार्थियों के समक्ष पुस्तकों की दुनिया उनकी दुनिया से मेल नहीं खाएगी। जब तक भाषा विद्यार्थी के घर-परिवार, पास-पड़ोस एवं परिवेश के अनुकूल नहीं होगी तो वह आसानी से सीख और समझ नहीं पाएगा। पाठ्यपुस्तक की भाषा से विद्यार्थी की भाषा का संबंध होना चाहिए तथा पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु से विद्यार्थी का भी कुछ-न-कुछ संबंध और सरोकार होना ही चाहिए। पाठ्यपुस्तक की भाषा और उसमें प्रस्तुत विषयवस्तु की भाषा का विद्यार्थी के घर-परिवार और परिवेश की भाषा से जुड़ाव या संबंध

* प्रोफेसर, भाषा शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी, नयी दिल्ली.

अवश्यंभावी है। ऐसा नहीं होने पर कितनी भी बढ़िया विषयवस्तु क्यों न हो अगर उसकी भाषा विद्यार्थी समझ न पाए तो फिर उसकी उपयोगिता किस काम की? इसलिए भाषा का महत्व व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भाषा ही वह माध्यम है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच सेतु बनाने या संबंध स्थापित करने में सहायक है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। किंतु उनमें से किसी एक भाषा को, एक राष्ट्र की संकल्पना के तहत नहीं स्वीकारा गया है। वस्तुतः भारत की सभी भाषाएँ समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और देश के सभी नागरिकों को उनसे प्रेम और उनका सम्मान करना चाहिए। हिंदी की स्थिति अन्य भारतीय भाषाओं से भिन्न है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को संघ की 'राजभाषा' का दर्जा दिया गया है—'संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।' इसके साथ ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश भी देता है—'संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।' राजभाषा

नियम 1976 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा बनने के साथ ही यह पूरे देश में क, ख, ग क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। यही एक ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र में राजभाषा, संपर्क भाषा और सार्वजनिक भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। हिंदी के प्रयोगकर्ता भारत के अंदर तो हैं ही भारत के बाहर भी हैं। हिंदी ने भारत के बाहर भी एक भारत का निर्माण किया है जो अप्रवासी हिंदी या डायस्पोरा हिंदी के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। हिंदी का यह संसार जो भारत के बाहर है, हिंदी भाषा के साथ भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक बना हुआ है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में भी हिंदी का अध्ययन-अध्यापन हो रहा है। गीत, संगीत और फिल्मों दुनिया में हिंदी ने एक अलग ही संसार बसाया है। हिंदी भाषा अब तो भारतीय संस्कृति की रीढ़ बनती जा रही है। हिंदी अब प्रौद्योगिकी या तकनीकी की भाषा भी बन रही है। इसलिए इसका अध्ययन-अध्यापन दुरुस्त होना चाहिए।

भाषा सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित होती है और विकास करती है। इसलिए भाषा-शिक्षण के साथ समाज और संस्कृति का शिक्षण अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है। भाषा व्यक्तिगत नहीं सामूहिक और सामाजिक वस्तु है। शब्द और अर्थ का निर्माण भी सांस्कृतिक प्रक्रिया के तहत होता है। इसीलिए संदर्भ के अनुसार शब्दों के अर्थ भी बदलने लगते हैं। भाषा ध्वनियों का व्यापार है, यही वह समानता है जो सभी भाषाओं में पाई जाती है। भाषा की पहचान ही ध्वनियों से होती है। लिपि तो बाद की प्रक्रिया है। लिपि के परिवर्तन के साथ ध्वनियों के आधार पर किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है।

जब भाषा के साथ समाज और संस्कृति जुड़ी हुई है तो अपने ही सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य में हिंदी विषय में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण क्यों हो रहे हैं? क्या हिंदी का विद्यार्थी अपने ही सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य से बेदखल हो रहा है?

विद्यार्थी हिंदी भाषा के परिवेश में पैदा होता है और पढ़ता-लिखता है। उसकी मातृभाषा भी हिंदी है, उसके बावजूद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी अध्ययन-अध्यापन की स्थिति बहुत सराहनीय नहीं है। इसके क्या कारण हैं?

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में पढ़-पढ़ा रहे हिंदी के विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों हिंदी प्रदेश हैं। दोनों में खान-पान, रहन-सहन, वेषभूषा, पर्व, त्योहार, रीति-रिवाज, भाषा-बोली अर्थात् सांस्कृतिक एकता है। चूँकि दोनों प्रदेशों में मातृभाषा हिंदी है और हिंदी अध्ययन-अध्यापन की समृद्ध परंपरा रही है।

भूमंडलीकरण, सार्वभौमीकरण तथा उत्तर आधुनिक युग के बदलते समय एवं परिवेश में दोनों प्रदेशों में हिंदी अध्ययन-अध्यापन की स्थिति बदल रही है। प्रस्तुत लेख इन बदली हुई स्थितियों में निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित—

1. हिंदी के संदर्भ में भाषा शिक्षण संबंधी शिक्षा नीति के बारे में शिक्षकों एवं शिक्षक-प्रशिक्षकों की क्या धारणा या राय या सोच है?
2. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जा रही हिंदी पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता के प्रति विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षक-प्रशिक्षक की क्या धारणा या राय या सोच है?

3. हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक प्रक्रिया के नियोजन हेतु माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की क्षमता या माँग क्या है?
4. हिंदी भाषा शिक्षण में आईसीटी के प्रयोग को समेकित करने के लिए माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक अध्यापकों की क्षमताओं का विकास कैसे करें?
5. हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण संबंधी क्षमता निर्माण कार्यक्रम में शिक्षक किस प्रविधि, पद्धति और प्रारूप को वरीयता या प्राथमिकता देते हैं?
6. हिंदी के विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति और शिक्षाशास्त्रीय तकनीक की मूल्यांकन रणनीति के लिए माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक अध्यापकों की अपेक्षाओं की विश्लेषणात्मक क्षमता क्या है?
7. हिंदी अध्यापकों और उनकी शिक्षण रणनीति के प्रति माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की क्या धारणा या राय या सोच है?
8. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा में हिंदी भाषा के प्रति माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की क्या धारणा या राय या सोच है?
9. विभिन्न संस्थाओं और संगठनों द्वारा आयोजित हिंदी क्षमता विकास कार्यक्रम के प्रति शिक्षकों की क्या धारणा या राय या सोच है?
10. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भाषा की कक्षा में शिक्षाशास्त्रीय प्रक्रिया के कार्यान्वयन में शिक्षक किस तरह की समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना करते हैं?

अनुसंधान की अवधारणात्मक रूपरेखा

- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आवश्यकता का निर्धारण;

- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आवश्यकता का विश्लेषण;
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की आवश्यकताओं का निर्धारण;
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की आवश्यकताओं का विश्लेषण;
- माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी अध्यापन का शिक्षाशास्त्र;
- माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी अध्यापन के प्रति छात्रों की अवधारणा का अध्ययन;
- हिंदी अध्यापन के प्रति शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों और विषय-विशेषज्ञों की अवधारणा;
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों का व्यावसायिक विकास;
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की क्षमता का संवर्द्धन;
- हिंदी अध्ययन की भूमिका हेतु पाठ्यपुस्तक के महत्व का गुणात्मक अध्ययन;
- भाषायी कौशलों के विकास हेतु पाठ्यपुस्तक की भूमिका; तथा
- साहित्यिक अभिरुचि के विकास हेतु पाठ्यपुस्तक की भूमिका।

प्रस्तुत शोध के संदर्भ में प्रयुक्त शब्दावली का स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

भाषायी आवश्यकताएँ

यहाँ भाषा के स्तर पर आवश्यकता वे भाषा कौशल हैं जो विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक समझे जाते हैं और जिसे विद्यार्थियों के लिए तय समय-सीमा में प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करना होता है।

आवश्यकता निर्धारण

आवश्यकता निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसे लक्ष्य के रूप में हम हासिल करना चाहते हैं और जो वर्तमान में हमारी भाषा कौशल संबंधी दक्षता है या जो शिक्षकों के लिए शिक्षण के मानक तय किए गए हैं, के बीच अंतराल की पहचान करना है।

आवश्यकता विश्लेषण

आवश्यकता विश्लेषण, विद्यार्थियों के बारे में सूचनाओं का एकत्रीकरण तथा संप्रेषण कार्य को संदर्भित करता है। जिसका उपयोग पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण अभिकल्प हेतु किया जाता है।

हिंदी शिक्षण में आवश्यकता विश्लेषण

अधिगमकर्ता अथवा अधिगमकर्ता समूह की आवश्यकता निर्धारण की प्रक्रिया का भाषा की आवश्यकता एवं उनकी प्राथमिकता के अनुसार आवश्यकताओं को व्यवस्थित करना है। यह व्यक्तिपरक और वस्तुपरक दोनों प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस विश्लेषण से जिस परिवेश और परिस्थिति में भाषा प्रयोग की जाती है उसकी सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही किसके लिए प्रयोग की जाती है, की भी जानकारी मिलती है। किसके लिए किस प्रकार की भाषा की आवश्यकता है उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं? किस तरह की भाषा संप्रेषण प्रणाली के उपयोग एवं किस स्तर की भाषा दक्षता की आवश्यकता होगी? आदि आवश्यकता विश्लेषण के प्रमुख बिंदु होंगे।

शिक्षाशास्त्र

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अधिगमकर्ताओं के लिए शिक्षाशास्त्रीय अभ्यासों के रूप में परिभाषित होता

है। ज्ञान तक उनकी पहुँच वस्तुतः क्रियाकलापों और भाषा कौशलों के प्रयोग के अवसरों को ऊँचा उठाने में न केवल मदद करती है बल्कि यह सीखने में भी मदद करती है कि अंततः सीखा कैसे जाता है। साथ ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के लक्ष्यों को सीखने में महत्वपूर्ण कार्य करती है। शिक्षाशास्त्र में शिक्षा तकनीक भी शामिल है। शिक्षण तकनीक और रणनीतियाँ अधिगम के होने में सहायक होती हैं। यह शिक्षक और अधिगमकर्ता के मध्य अंतःक्रिया को संदर्भित करके परस्पर सहयोगी वातावरण निर्मित करके शिक्षण-अधिगम के माहौल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को इस प्रक्रिया में शामिल भी करती हैं।

अवधारणा

अवधारणा, संज्ञानात्मक प्रक्रिया और संरचना का प्रतिनिधित्व करती है। अप्रचलित संज्ञानात्मक आयाम की सोच में वे विश्वास, ज्ञान, सिद्धांत और सिद्धांत के अतिरिक्त विचार और प्रतिबिंब शामिल हैं जिसे अध्यापक शिक्षण-अधिगम के पहले या बाद में अपनाता है।

अभिवृत्ति

किसी तथ्य अथवा कथन के संबंध में मानसिक स्थिति, किसी तथ्य अथवा कथन के प्रति भाव अथवा संवेद, किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थिति को मान लेना अभिवृत्ति कहलाती है। 'मेरी' अवधारणा (सोच) का आशय चीजों, भावों, विचारों को 'मैं' कैसे देखता हूँ और 'मैं आपकी' अवधारणा (सोच) पर कैसी प्रतिक्रिया देता हूँ। अवधारणा भावों, विचारों, प्रवृत्तियों को दिशा देती है जो व्यवहार को परिवर्तित करती है, आनंददायी जीवन अथवा कष्टप्रद जीवन सृजित करती है।

अनुसंधान उद्देश्य

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिंदी शिक्षकों और विद्यार्थियों की शिक्षाशास्त्रीय प्रक्रिया तथा हिंदी शिक्षण के प्रति उनकी अवधारणाओं और आवश्यकताओं के विश्लेषण के उद्देश्य इस प्रकार हैं—

- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) द्वारा निर्मित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की हिंदी की पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण करना।
- शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा पाठ्यपुस्तकों पर प्रदत्त राय, अनुभव, अवधारणा का विश्लेषण करना और भविष्य में तैयार की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों के गुणात्मक सुधार हेतु सुझाव माँगना।
- माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी अध्ययन-अध्यापन के विविध आयामों पर शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों की राय या अनुभव या अवधारणा (परसेप्शन) और प्रतिपुष्टि (फीडबैक) के आधार पर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी पढ़ा रहे शिक्षकों की क्षमता संवर्द्धन तथा आवश्यकता की जाँच-पड़ताल करना।
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी अध्यापन में अपनाई जा रही शैक्षिक प्रक्रियाओं में शिक्षकों को किस तरह की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? उसकी पहचान करना।
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी का शिक्षण-अधिगम प्रभावी कैसे हो? यह तथ्य

करना और भविष्य में भावी पीढ़ी के लिए हिंदी की ऐसी पाठ्यपुस्तकें तैयार करना जिससे इस स्तर के विद्यार्थियों का हिंदी भाषा-अधिगम में उत्साह या रुचि बढ़े तथा उनकी भाषा दक्षता में वृद्धि हो सके।

अनुसंधान की परिसीमाएँ

यह अनुसंधान माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक ही सीमित है। इस स्तर पर पढ़ाई जा रही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और रा.शै.अ.प्र.प. की हिंदी पाठ्यपुस्तकों का व्यापक अध्ययन एवं विश्लेषण शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा किया गया।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण-अधिगम के विविध पहलुओं से संबंधित शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों एवं विषय-विशेषज्ञों की राय सामान्य और विशिष्ट रूप से ली जा चुकी है। अनुसंधान, शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों तथा विद्यार्थियों के प्रतिदर्श तक परिसीमित है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है—

1. यह अध्ययन माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सीमित है।
2. इस अध्ययन के अंतर्गत मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश का चयन किया गया।
3. इन राज्यों के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों और अध्यापकों को सम्मिलित किया गया।
4. इस अध्याय के अंतर्गत अध्यापकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों एवं विषय-विशेषज्ञों को शामिल किया गया था।
5. इस अध्ययन के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय, प्रदेश के शासकीय विद्यालय, गैर-शासकीय

विद्यालय, राजकीय कन्या विद्यालय एवं निजी विद्यालय लिए गए थे।

व्यक्ति के विकास में शिक्षा विशेष योगदान देती है। भाषा की भूमिका ज्ञानार्जन और अभिव्यक्ति में शिक्षार्थियों के आत्मविश्वास और सृजनात्मकता को परिलक्षित करती है। यह जानना आवश्यक समझा गया है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा और उसके शिक्षण के संदर्भ में विद्यार्थियों की क्या आवश्यकताएँ हैं? शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाएँ किस प्रकार संचालित होती हैं? शिक्षकों और विद्यार्थियों की हिंदी शिक्षण संबंधी क्या अवधारणाएँ हैं? पाठ्यपुस्तकें पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को किस सीमा तक पूरा कर पाने में सक्षम हैं? यदि कुछ कमियाँ हैं तो उनका आकलन तथा निराकरण कैसे संभव है? आदि प्रश्नों के उत्तर खोजने की दृष्टि से एक शोध अध्ययन विकसित किया गया।

शोध कार्य हेतु मिश्रित विधि अपनाई गई थी। इसमें वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि, पाठ्यवस्तु विश्लेषण, अवधारणा विश्लेषण और गुणात्मक विश्लेषण सम्मिलित थे। कुल आठ शोध उपकरणों का निर्माण किया गया था जिनमें अवधारणा मापनी तथा प्रश्नावलियाँ सम्मिलित थीं। दोनों प्रकार के प्रश्न— सीमित उत्तर एवं मुक्त अंत वाले प्रश्न रखे गए थे। अवधारणा मापनी हेतु रेटिंग स्केल प्रयुक्त किए गए थे। पाठ्यपुस्तकों के विश्लेषण हेतु निर्देशित पाठ्य-वस्तु विश्लेषण विधि प्रयुक्त की गई थी। कक्षा/कक्ष निरीक्षण भी विभिन्न निष्कर्षों पर रेटिंग तथा विचार-विमर्श पर आधारित था। शोध में जिन पाठ्यपुस्तकों को सम्मिलित किया गया उनसे जुड़े आँकड़ों को तालिका 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1— पाठ्यपुस्तकों का विवरण

पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशक	पाठ्यपुस्तक का नाम	पाठ्यपुस्तक का नाम
	कक्षा 9 व 10	कक्षा 11 व 12
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली	क्षितिज, भाग- 1, 2 कृतिका, भाग- 1, 2 स्पर्श, भाग- 1, 2 संचयन, भाग- 1, 2	अंतरा, भाग- 1, 2 अंतराल, भाग- 1, 2 आरोह, भाग- 1, 2 वितान, भाग- 1, 2b
मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश	बासंती, भाग- 1, 2 नवनीत, भाग- 1, 2	स्वाति, भाग- 1, 2 मकरन्द, भाग- 1, 2
उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद्	हिंदी कक्षा 9 हिंदी कक्षा 10	हिंदी कक्षा 11 हिंदी कक्षा 12

तालिका 2— विद्यालयों से जुड़े प्रतिदर्श

प्रशासन	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	शिक्षकों की संख्या	कक्षा-कक्षीय अवलोकन	शिक्षक-प्रशिक्षकों की संख्या
केंद्रीय विद्यालय	20	400	40	20	10
अनुदान प्राप्त राजकीय विद्यालय	20	400	40	20	10
अन-अनुदान वाले पब्लिक विद्यालय	20	400	40	20	10
कुल	60	1200	120	60	30

तालिका 3— विद्यालयों की संख्या

राज्य	ज़िला	विद्यालयों की संख्या
मध्य प्रदेश	ग्वालियर	10
	होशंगाबाद	10
	उज्जैन	10
उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	10
	बरेली	10
	झांसी	10

पाठ्यपुस्तक निर्माण संबंधी प्रायः सभी आयामों पर शिक्षक, विशेषज्ञ एवं शिक्षार्थियों के सुझाव आमंत्रित किए गए थे। परिमाणात्मक विश्लेषण के अतिरिक्त, लक्षित समूह वार्तालाप (फोकस ग्रुप डिस्कशन) तथा मुक्त उत्तर-प्रश्नों का गुणात्मक विश्लेषण करके विभिन्न सुझावों को संकलित किया गया था।

मूलतः शोध कार्य दो प्रदेशों (मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश) में किया गया। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालय एवं केंद्रीय विद्यालयों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया था। प्रतिदर्श में सम्मिलित विद्यालयों, विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कक्षा-कक्षीय अवलोकन व शिक्षक-प्रशिक्षकों की संख्या को तालिका 2 के माध्यम से दर्शाया गया है

प्रतिदर्श में सम्मिलित राज्यवार विद्यालय और उनकी संख्या को तालिका 3 में दर्शाया गया है।

इस कार्य संपादन हेतु आठ विस्तृत शोध उपकरणों का निर्माण करके प्रदत्त एकत्रित किए गए थे, जो इस प्रकार हैं—

1. हिंदी शिक्षण के प्रति शिक्षकों की धारणा मापनी;
2. शिक्षकों या शिक्षक-प्रशिक्षकों या विषय विशेषज्ञों हेतु पाठ्यपुस्तक विश्लेषण प्रश्नावली;
3. पाठ विश्लेषण—शिक्षकों या शिक्षक प्रशिक्षकों विषय या विशेषज्ञों हेतु प्रश्नावली;
4. हिंदी के प्रति विद्यार्थियों की राय या सोच या धारणा मापनी;
5. अध्ययन-अध्यापन से संबंधित हिंदी शिक्षकों हेतु अनुसूची;
6. विद्यार्थियों पर केंद्रित सामूहिक वार्तालाप प्रपत्र;
7. हिंदी भाषा शिक्षण कक्षा अवलोकन प्रपत्र; तथा
8. शिक्षकों या शिक्षक-प्रशिक्षकों या विषय विशेषज्ञों द्वारा पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा हिंदी अध्ययन-अध्यापन संबंधी सुझाव पत्रक।

शोध की मुख्य दृष्टि निम्न बिंदुओं पर थी

1. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, हिंदी पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के प्रति शिक्षकों की धारणा का अध्ययन करना।
2. हिंदी भाषा के शिक्षण-अधिगम के प्रति राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं कक्षा अध्यापन के संदर्भ में शिक्षकों से साक्षात्कार कर विभिन्न आयामों पर विश्लेषण द्वारा आकलन करना।
3. दोनों स्तरों के शिक्षकों के द्वारा कक्षा-कक्षों में शिक्षण सत्रों के अवलोकन का विश्लेषण करना।

4. हिंदी के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षण-अधिगम के प्रति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के विद्यालयों एवं केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षार्थियों की अवधारणाओं का अध्ययन करना।

5. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर हिंदी की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा केंद्रीय विद्यालयों में प्रचलित पाठ्यपुस्तकों का विभिन्न आयामों पर विस्तृत विश्लेषण करना।

- समष्टिगत विश्लेषण

- पुस्तकवार विश्लेषण

6. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर प्रचलित पाठ्यपुस्तकों के प्रति शिक्षकों और विशेषज्ञों के विस्तृत विचार-व्याख्या और सुझाव।

7. समस्त सभी विश्लेषणों के आधार पर पाठ्यपुस्तकों के निर्माण हेतु विभिन्न आयामों के प्रति शिक्षकों, शिक्षार्थियों के सुझाव।

दिए गए बिंदुओं पर प्राप्त शोध परिणाम और अनुशांसाओं की संक्षिप्त प्रस्तुति निम्नवत है—

- हिंदी पाठ्यपुस्तक और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के प्रति शिक्षकों की धारणा हेतु मापनियाँ प्रयुक्त की गई थीं। इनके माध्यम से पाठ्यपुस्तकों के मुखपृष्ठ के प्रति अधिकांश शिक्षक उन पर दिए गए चित्र, रंग योजना आदि से संतुष्ट थे। पाठ्यवस्तु की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से अनुरूपता पर प्रायः सभी ने जीवन से जोड़ने, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करने पर बल दिया। पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु (विधाएँ एवं भाषा कौशल) के प्रति विभिन्न कालखंडों की कविताओं, उनकी गेयता, कल्पनाशक्ति के विकास और प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास तथा

सृजनात्मक चिंतन के विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता बताई। प्रायः सभी शिक्षक रटंत प्रणाली के निर्मूलन पर एकमत थे। शिक्षकों का मत था कि पाठ के अंत में प्रश्न-अभ्यास और क्रियाकलाप बौद्धिक क्षमता के विकास और व्यावहारिकता में सहायक होने चाहिए। व्याकरण के लिए पृथक से पुस्तक आवश्यक नहीं है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाने हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण आवश्यक है। साहित्यिक विधाओं का मूल्यांकन पृथक-पृथक प्रणालियों से किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उच्च माध्यमिक स्तर पर रस, छंद, अलंकार, काव्य सौंदर्य आदि भी मूल्यांकित होने चाहिए। पाठ्यपुस्तकों में दिव्यांगों और महिलाओं से संबद्ध पाठ्यसामग्री एवं उपयुक्त विधि प्रयुक्त होनी चाहिए।

- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षकों के साक्षात्कार से भी अन्य महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए जो पाठ्यपुस्तक निर्माण, सामग्री चयन, संकलन, मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि हेतु व्यावहारिक सिद्ध होंगे।
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की कक्षाओं के अवलोकन से शिक्षकों द्वारा पाठ की तैयारी, विभिन्न प्रकार के पाठों का प्रस्तुतिकरण, कक्षा-प्रबंधन, कक्षा-वातावरण, शिक्षकों की विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रयोग आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारीयाँ उपलब्ध हुईं। यह सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी।
- हिंदी पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण-अधिगम के प्रति विद्यार्थियों की अवधारणाओं के अध्ययन

के लिए न्यादर्श में शामिल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों से पाठ्यपुस्तकों के विभिन्न पक्षों पर उनकी प्रतिक्रियाएँ स्पष्ट रूप से प्राप्त हुईं। हिंदी शिक्षण के बारे में भी उनके विचार स्पष्ट रूप से प्राप्त हुए। इनका प्रयोग भी पाठ्यपुस्तक निर्माण और हिंदी शिक्षण में किया जाए तो पुस्तकें और शिक्षण दोनों को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

- शोध कार्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष पाठ्यपुस्तकों का समीक्षात्मक विश्लेषण करना भी था। इस कार्य को दो रूपों में किया गया। प्रथमतः समष्टिगत मूल्यांकन अर्थात् अमुक स्तर पर प्रयुक्त पाठ्यपुस्तकों के बाह्य स्वरूप व आंतरिक पक्षों की समग्र रूप में समालोचना की गई। इससे पुस्तकों की श्रेष्ठताएँ एवं कमियाँ सामने आईं और बहुमूल्य सुझाव मिले। इससे नई पाठ्यपुस्तकों के निर्माण हेतु निर्देशन प्राप्त हुए। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश तथा केंद्रीय विद्यालयों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का पुस्तकवार विस्तृत विश्लेषण किया गया जिससे उनमें वांछनीय सुधार हेतु सुझाव प्राप्त हुए।
- माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक निर्माण और हिंदी शिक्षण के लिए शिक्षकों एवं विषय-विशेषज्ञों के सुझाव आमंत्रित किए गए थे। इसके विश्लेषण से सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के सुझाव संकलित किए गए। इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है—
 1. पाठ्यपुस्तक में पाठ शामिल करने हेतु सुझाव
 2. गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तक निर्माण हेतु सुझाव
 3. आवरण पृष्ठ और आमुख संबंधी सुझाव

4. पाठों में विकासात्मक पहलुओं को सम्मिलित किए जाने हेतु सुझाव
5. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से अनुरूपण संबंधी सुझाव
6. भाषायी दक्षता-कौशल विकास संबंधी सुझाव
7. प्रश्न-अभ्यास निर्माण संबंधी सुझाव
8. गुणवत्तापरक पाठ्यपुस्तक निर्माण हेतु सुझाव आदि।

प्रस्तुत शोध प्रतिवेदन की विशिष्टता यह है कि जहाँ एक ओर यह माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर शिक्षकों और विद्यार्थियों की शिक्षण-अधिगम संबंधी आवश्यकताओं पर विस्तार से प्रकाश डालती है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों और विद्यार्थियों की अवधारणाओं को भली-भाँति उजागर करती है। इन दोनों का संबंध शिक्षण-अधिगम में गुणात्मकता लाने से है। साथ ही प्रचलित पाठ्यपुस्तकों के समष्टिगत और पुस्तकवार विश्लेषण से पाठ्यपुस्तक निर्माण हेतु महत्वपूर्ण बिंदु रेखांकित होते हैं। इससे नए संस्करण या नई पाठ्यपुस्तकों के निर्माण हेतु वांछित महत्वपूर्ण निर्देशन प्राप्त होते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण की नई रूपरेखा का विकास भी इन आधारों पर किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में शोध परिणामों पर आधारित कुछ विशेष बिंदु निम्नवत हैं—

- शिक्षकों को सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी (ICT) के शिक्षण-अधिगम में एकीकरण हेतु गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- हिंदी भाषा तथा साहित्य शिक्षण में ई-अध्ययन सामग्री (e-content) विकसित करने और

उसके प्रयोग संबंधी दक्षता प्रदान की जाए। वेब पोर्टल की सामग्री विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाए।

- शिक्षकों को उपयुक्त संदर्भित वातावरण निर्माण करके योजनाबद्ध तरीके से प्रेरक और रुचिकर सामग्री प्रयोग करने में निपुणता प्राप्त कराई जानी चाहिए।
- विद्यार्थियों में विषय पर बोलने-लिखने के कौशलों का विकास हिंदी शिक्षण का अभिन्न अंग होना चाहिए।
- विद्यार्थियों के स्पष्ट वक्तव्य में उचित उच्चारण और उचित आरोह-अवरोह हेतु वांछित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- पाठ्यपुस्तक निर्माण के समय भाषायी कौशलों के विकास के साथ विद्यार्थियों की आयु और उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत करके राष्ट्रीयता, विकास और मानवतावादी दृष्टिकोण के लिए उचित पाठ्य-वस्तु चयनित की जानी चाहिए।
- हिंदी अध्ययन-अध्यापन में ऑडियो-वीडियो सामग्री के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और स्वतंत्र चिंतन की योग्यता के विकास में सहायक-अभ्यासों का निर्माण कर पाठ्यपुस्तकों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- शब्द भंडार में शनैः शनैः वृद्धि हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।
- प्रमुख साहित्यकारों, कवियों, आलोचकों का परिचय उनके योगदान के साथ कराया जाए।
- वर्तमान की परिस्थितियों में साहित्य की विवेचना और उपयोगिता से विद्यार्थियों को अवगत

कराया जाना चाहिए। अतीत के साहित्य को पृष्ठभूमि में रखना चाहिए।

- अधुनातन ज्ञान एवं विमर्शों को शामिल करने वाली पाठ्यपुस्तकों का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए।
- हिंदी शिक्षकों की पाठ्यपुस्तक आधारित 'जाँच परीक्षा' आयोजित की जानी चाहिए।
- प्रत्येक शिक्षक के लिए अकादमिक और साहित्यिक दोनों कुशलताएँ अर्जित करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- पाठ्यपुस्तकों की भाषा सरल एवं बोधगम्य होनी चाहिए। इनमें परियोजना कार्य भी दिए जाने चाहिए।
- मानक भाषा शब्दावली का प्रयोग बढ़ाना चाहिए।
- व्याकरण की पुस्तकें सभी कक्षाओं में लगाई जानी चाहिए।
- प्रश्न अभ्यासों में रटंत प्रणाली से मुक्त करके ऐसे क्रियाकलाप दिए जाएँ जो योग्यता विस्तार करने के साथ जीवन मूल्यों के विकास में सहायक हों।
- व्याकरण संबंधी प्रश्न अभ्यासों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
- हिंदी भाषा-साहित्य के मूल्यांकन हेतु कुछ रचनात्मक गतिविधियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए।
- भाषा प्रयोगशाला (Language Lab) का प्रयोग स्तरानुसार बढ़ाया जाना चाहिए।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी पढ़-पढ़ा रहे विद्यार्थियों और शिक्षकों की शिक्षाशास्त्रीय प्रक्रिया तथा हिंदी शिक्षण के प्रति

उनकी अवधारणाओं तथा आवश्यकताओं के विश्लेषण के उपरान्त निष्कर्ष यह निकलता है कि योग्य शिक्षकों का अभाव नहीं है फिर भी पढ़ाने-लिखाने में खास उत्साह का अभाव है। शिक्षण एक जुनून होता है वह जुनून अधिकांश अध्यापकों में नहीं पाया जा रहा है। नौकरी मिल गई है सारे काम आसानी से चल रहे हैं किंतु शिक्षण के प्रति उत्साह का अभाव दिखाई दे रहा है। शिक्षक ही नहीं विद्यार्थी की भी रुचि कम हो रही है। हिंदी भाषा साहित्य का अध्ययन जो पूर्व समय में प्रमुख और आधार माना जाता था आज वह गौण होता जा रहा है। विद्यार्थी भी उदासीन हो रहे हैं। कह सकते हैं कि समस्त वातावरण ही हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति सकारात्मक नहीं दिख रहा है।

हिंदी भाषा के प्रति उदासीनता के कारण

हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति सकारात्मक माहौल न होने का प्रमुख कारण है—जगह-जगह अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा और माध्यम भाषा। यह भाषा शिक्षण को दुरुह बना रहे हैं, खासतौर से हिंदी भाषी प्रदेशों में। विद्यार्थी किसी भी भाषा में प्रवीण नहीं हो पा रहे हैं, न अंग्रेजी और न ही हिंदी में। अंग्रेजी माध्यम स्कूल हिंदी शिक्षण की स्थिति को नकारात्मक सोच की ओर ले जा रहे हैं। उनका रहन-सहन, वेश-भूषा और विज्ञापन आदि हिंदी भाषा की स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। समाज की मनोवृत्ति ही बदल रही है। समाज में दिखावे की प्रवृत्ति अधिक है। जो मनुष्य के पास है वह उससे संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है उसको पाने के लिए वह लालयित है। अंग्रेजी भाषा भारतीय समाज में अति उत्साही रूप में देखी जा रही है। उसके सामने हिंदी का विद्यार्थी अपने आपको कमजोर तथा हीनताबोध से ग्रस्त मानता है।

दूसरा कारण व्यवसाय आधारित कोर्स के प्रति रुझान है। विज्ञान, गणित तथा कॉमर्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस धारा का प्रत्येक विद्यार्थी व्यवसायोन्मुख है, जैसे— डॉक्टर, इंजीनियर तथा बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले आदि। इनका रहन-सहन, सामाजिक स्तर आदि को देखकर हिंदी भाषा वाले विद्यार्थियों में हीनताबोध पैदा हो रहा है। भाषा पढ़ने वालों के मन में कहीं-न-कहीं यह वहम पैदा हो रहा है कि विज्ञान और गणित पढ़ने का अवसर उन्हें नहीं मिला। इसलिए हिंदी भाषा पढ़नी पड़ रही है, अतः वे मन-ही-मन अपने को कोसते हैं।

तीसरा प्रमुख कारण समाज और जनमानस है। बाज़ार, विज्ञापन एवं आम जनता आजकल पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति और अंग्रेजी के मोह में जकड़ी हुई है। इस आकर्षण में वह अपने समाज के मानव मूल्य, नैतिकता और भाषा तथा संस्कृति से कटता जा रहा है। विदेशी कंपनियाँ तथा उनका प्रचार-प्रसार तंत्र भी इसमें सहयोग कर रहा है। ऐसी स्थिति में हिंदी भाषा-साहित्य के प्रति रुचि कैसे रहेगी? फैजाबाद ज़िले के सरकारी विद्यालय के एक विद्यार्थी ने बताया कि सर हिंदी बोलने में शर्म आती है। आगे उसने बताया कि विज्ञान एवं गणित पढ़ने वाले बच्चे फटाफट अंग्रेजी बोलते हैं, उनके सामने हमें हिंदी बोलने में शर्म आती है। अंग्रेजी बोलने वाला कितना गलत बोल रहा है कितना सही, इसका ध्यान नहीं है किंतु अंग्रेजी बोल रहा है यही एक मानक बन गया है। यह एक तरह से अंग्रेजी का डर है जिसके कारण हम उसके शिकार हो जाते हैं। समाज में हिंदी भाषा के प्रति जो नजरिया है, वह उसी डर के कारण है।

सच तो यह भी है कि शिक्षकों का समाज स्वयं उस डर का शिकार है। हिंदी बोलते-बोलते प्रदर्शन की

तरह दो-चार शब्द जब तक अंग्रेजी के बोल न लें, या बोलते-बोलते एक दो वाक्य जब तक अंग्रेजी में न बोल दें, तब तक खुद ही चैन नहीं पड़ता। अंग्रेजी के प्रति मोह समाज के कारण ही है। अंग्रेजी जानना प्रतिष्ठा का प्रतीक बनना भी समाज के कारण ही है। अंग्रेजी भाषा अभी भी अभिजात्य वर्ग की भाषा बनी हुई है। इसे आमजन की भाषा बनने में अभी बहुत समय लगेगा। जब तक अंग्रेजी अभिजात्य भाषा बनी रहेगी या मानी जाएगी तब तक हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति हीनताबोध रहेगा। उसी का प्रभाव हिंदी शिक्षण और पूरे परिवेश में देखा जा रहा है।

शिक्षकों का मानना है कि विद्यार्थी गंभीर नहीं हैं। हिंदी शिक्षण को वह समझते हैं, वह उनकी भाषा है, वह खुद पढ़ लेंगे। जब पढ़ने वाले गंभीर नहीं हैं तो अध्यापक गंभीर होकर क्या करेंगे। परिणामतः दोनों तरफ स्थिति गंभीर है। हिंदी अपने घर में बेगानी होने की कगार पर है। मातृभाषा की स्थिति में रहकर भी वह सम्मान नहीं पा रही है जिसकी वह हकदार है। हिंदी प्रदेशों में ही हिंदी शिक्षण की स्थिति ठीक नहीं है।

कुछ अध्यापन के प्रति गंभीर अध्यापक भी हैं, जिनका काम पढ़ना-पढ़ाना है किंतु कुछ अन्य ऐसे नहीं हैं। कुछ अध्यापक पढ़ने-लिखने के अलावा राजनीतिक गुटबंदी और शिक्षा के इतर काम में लगे रहते हैं। उनका उद्देश्य पढ़ाना-लिखाना न होकर प्रधानाचार्य और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ हाजिरी लगाना रहता है। इनका मानना है कि, “सरकार हमें छत्तीस काम सरकारी सौंप देती है, जनगणना, बी.एल.ओ. चुनाव ड्यूटी आदि। इसमें हमारा अधिकतम समय चला जाता है, बाकी काम रजिस्टर तैयार करना, अधिकारियों के सामने प्रस्तुत

होना आदि हैं।” यह आरोप अपने आप में बेबुनियाद नहीं माने जा सकते। अगर हम अच्छे अध्यापक हैं तो कक्षा अपने आप अनुशासित रहती है और विद्यार्थी स्वयं रुचि लेते हैं। परिणामतः जो अध्यापक गंभीर हैं वे अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं। वरिष्ठ अध्यापकों का रवैया देखकर कुछ अध्यापक गंभीर नहीं रहते। यही कारण है कि राजकीय विद्यालयों की स्थिति केंद्रीय विद्यालय की तुलना में ज्यादा खराब है। वरना हिंदी मातृभाषी प्रदेश में हिंदी भाषा में लाखों लोग बोर्ड की परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं होते।

हिंदी भाषा साहित्य के मूल्यांकन में भी कुछ दोष है। मूल्यांकनकर्ता विद्यार्थी से विषयवस्तु की समझ और उसकी विवेचन-विश्लेषण शक्ति तथा आलोचनात्मक दृष्टि या विवेक की परीक्षा की बजाय वर्तनी और मात्रा की अशुद्धियों पर बल देते हैं। अंक प्रणाली भी विज्ञान और गणित की तरह नहीं है। हिंदी भाषा और साहित्य का मूल्यांकन समझपरक होना चाहिए। प्रायः मूल्यांकन की गलती से हिंदी भाषा के विद्यार्थी निराश ही रहते हैं। जहाँ विज्ञान और गणित में 90 से 100 प्रतिशत अंक विद्यार्थी पाते हैं वहीं भाषा का होनहार विद्यार्थी 50 से 60 प्रतिशत तक सिमट कर रह जाता है। यही कारण है कि हिंदी शिक्षण में कार्यरत शिक्षक अपने घर-परिवार के बच्चों को हिंदी शिक्षण में नहीं डालते। हिंदी में उदासीन विद्यार्थी जनजीवन में अन्य कारणों की वजह से सफल नहीं हो पाता, वह हिंदी के प्रति सदैव नकारात्मक रवैया रखता है। हिंदी शिक्षकों के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ते हैं, इससे समाज में एक नकारात्मक संदेश जाता है कि अगर हिंदी इतनी ही सशक्त भाषा है तो हिंदी का अध्यापक अपने बच्चों को हिंदी क्यों नहीं पढ़ाता। समाज में

यही रवैया हिंदी के प्रतिकूल वातावरण निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदी में आगे बढ़ने, विकास करने, उच्चतर स्तर पर हिंदी को चुनने का सकारात्मक माहौल नहीं बन पाता। हमेशा हिंदी को, हिंदी वालों को नकारात्मक उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है जो बिल्कुल गलत और एकांगी है।

सुझाव

अगर हिंदी भाषा के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार करना है तो हिंदी भाषा अध्ययन-अध्यापन को रुचिकर बनाना होगा। इसके लिए शिक्षण प्रक्रिया को सुगम और सहज बनाना होगा। निरंतर और बार-बार शिक्षक-प्रशिक्षण का आयोजन करना होगा। हिंदी भाषा तथा मातृभाषा हिंदी के योगदान और उसकी भूमिका को वास्तविक रूप में बढ़-चढ़ कर रेखांकित करना होगा। ‘हम किसी से कम नहीं’ का भाव जगाना होगा। ज्ञान सृजन में मातृभाषा की भूमिका को समझना होगा।

पाठ्यपुस्तक की भाषा विद्यार्थी के संवेदनों की भाषा के करीब लानी पड़ेगी। शुद्धत्व से नीचे उतरकर लोगों के दिलों में उतरना पड़ेगा। आखिर क्या कारण था कि मध्यकाल की भाषा आम जनता के करीब थी। कबीर लोक नायक कैसे बने? तुलसी की भाषा बहता नीर कैसे हुई? कैसे वह लोकमंगल के समन्वयवादी गायक बने? जमाने के दर्द को भी मीरा ने गीत में कैसे बदल दिया? जायसी प्रेम की पीर के गायक कैसे बने? इसलिए हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण के समय हमें ध्यान देना होगा, पाठ्यपुस्तकों की भाषा विद्यार्थी और परिवेश की भाषा बनानी पड़ेगी। पाठ्यपुस्तक को देखकर विद्यार्थी को लगे कि वह उसकी संवेदना के निकट है। पाठ्यपुस्तकों में चित्रित

समाज, परिवेश विद्यार्थी के खुद का समाज और परिवेश दिखाई पड़े।

शिक्षकों को खुद समाज का आदर्श बनना पड़ेगा। पहले समाज में यह आदर्श था और पूरा समाज उन्हें आदर देता था, उनकी सलाह या मशवरे से समाज का संचालन होता था। शिक्षक और सरपंच ही गाँव समाज के न्यायाधीश थे। छोटी-मोटी समस्याओं का निराकारण वहीं गाँव-समाज-परिवेश में ही हो जाता था। शिक्षक को स्वयं कथनी-करनी के अंतर को भरना होगा। जो मूल्य, नैतिकता और आदर्श वह कक्षा में पढ़ाते हैं उसे खुद जीवन में उतारना पड़ेगा। आज शिक्षण-प्रशिक्षण की दुनिया में उसकी प्रविधियों में जमीन-आसमान का परिवर्तन हुआ है। पढ़ने-पढ़ाने का पुराना ढंग अब कारगर नहीं है, क्योंकि उस समय शिक्षा को साधना और तप से अर्जित किया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति जल्दी में है, इसलिए सूचना संचार तकनीक की भूमिका बढ़ गई है। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट के आने से शिक्षण का पुराना ढाँचा टूटा है और नयी प्रविधियाँ सामने आई हैं। दृश्य-श्रव्य सामग्री का चलन बढ़ा है। दृश्य का प्रभाव शीघ्र और दीर्घजीवी होता है। उसके माध्यम से विषयवस्तु को समझना सरल और आसान हो गया है? इसलिए हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण में सूचना संचार तकनीक का प्रयोग भरपूर मात्रा में करना होगा। अगर मध्यकाल के समाज और संवेदना को पाठ्यपुस्तक के पाठ में रखते हैं तो निश्चित ही इक्कीसवीं सदी का विद्यार्थी सहजता से उसे ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए उसे वर्तमान से जोड़ते हुए तत्कालीन समाज और परिस्थितियों के आलोक में उसकी व्याख्या सूचना एवं संचार तकनीक माध्यम से की जाए तो विद्यार्थी को पाठ की विषयवस्तु

समझने में आसानी होगी। इसलिए क्यूआर कोड का प्रयोग उचित है। प्रत्येक विषयवस्तु को आईसीटी में पिरोकर अलग-अलग तरह से परोसा जाए तो हिंदी शिक्षण-सहज और आसान हो सकता है।

हिंदी शिक्षण में रत विद्यार्थियों को पाठ्यसहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। उनके अंदर की क्षमता को बाहर निकालना पड़ेगा। उन्हें कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी देनी होंगी। इसके साथ ही अध्यापक-विद्यार्थी कैंप आयोजित करने पड़ेंगे जिससे अध्यापक के साथ रहकर अप्रत्यक्ष रूप से सीखने का अवसर मिलेगा। साथ ही शिक्षकों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को शामिल करने तथा भाग लेने की सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी। जितना ही यह व्यापक और विस्तृत होगा उतना ही हिंदी शिक्षण के रास्ते सुगम होंगे।

प्राथमिक स्तर पर ही हिंदी भाषा के उचित शिक्षण से मिल सकती है— नई राह

प्राथमिक शिक्षा पर नित नए अनुसंधान हो रहे हैं, पढ़ने-पढ़ाने के तरीकों पर बार-बार विचार किया जा रहा है। कोठारी कमीशन से लेकर नयी शिक्षा नीति 2020 तक इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में ही हो क्योंकि विद्यार्थी की अवधारणात्मक सोच या उसका बीजारोपण प्राथमिक कक्षा में ही आवश्यक है। बुनियाद को मजबूत करना है तो केंद्र प्राथमिक शिक्षा होनी ही चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा की अनिवार्यता के पीछे का तर्क क्या है? इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। भाषा या मातृभाषा सिर्फ भाषा नहीं होती, माँ और संतान के बीच आवश्यक संबंधों का बीजारोपण भी होता है। इसी संदर्भ में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, परिवेश

के साथ विद्यार्थी या बच्चे का संबंध उसे दुनियादार बनाता है।

भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती बल्कि सामाजिक रिश्ते, पर्यावरण, परिवेश के साथ रिश्ते की भी बुनियाद होती है। भाषा एक सांस्कृतिक प्रक्रिया का परिणाम होती है। इसलिए संस्कृति एवं सभ्यता के अंकुर भी मातृभाषा में ही फूटते हैं। इसलिए जिस विद्यार्थी की प्राथमिक शिक्षा में भाषायी कमियाँ और दोष शुरुआत में हो जाते हैं उन्हें दूर होने में समय लगता है। इसलिए विद्यार्थी की प्राथमिक शिक्षा में सोच, समझ, अधिगम क्षमता का मजबूत विकास होना आवश्यक है। अगर प्राथमिक स्तर पर भाषा की समझ बन गई तो भविष्य में किसी भी तरह की शिक्षा कठिन नहीं होगी, न उसे भावी शिक्षा में कोई अवरोध आएगा।

ध्यान रहे कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो और एक विषय के रूप में मातृभाषा ही सिखाई जाए न कि दूसरी और तीसरी भाषा भी इसी स्तर पर शुरू की जाए। प्रायः यह दलील दी जाती है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की भाषा सीखने की क्षमता प्रबल होती है। वह दो-तीन-चार भाषा एक साथ सीख सकता है। किंतु क्या यह जरूरी है कि उसे दो-तीन-चार भाषा सीखने को मजबूर किया जाए। ऐसा मानना है कि भाषायी समझ और बुनियाद मजबूत करने में दो-तीन भाषाओं का सीखना बोझ साबित होता है। इसलिए विद्यार्थी को प्रारंभ में इस भाषायी दलदल में डालना ठीक नहीं। क्यों नहीं हम प्राथमिक स्तर तक उसकी मातृभाषा एक विषय के रूप में तथा शिक्षा का माध्यम के रूप में अपनाएँ। बेशक उसमें भाषा सीखने की अपार क्षमता है। इस क्षमता का उपयोग पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय एवं संवेदनात्मक, भावात्मक रिश्तों की

समझ के विकास में करें। शायद यही उसे शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णता प्रदान करे। दो-तीन भाषाओं को प्राथमिक स्तर पर अपनाना जाने-अनजाने शिक्षण-अधिगम में हस्तक्षेप को बढ़ाना है। यही कारण है कि विद्यार्थी दो-तीन भाषाओं के दलदल में फँस जाता है और अपनी मातृभाषा के प्रति केंद्रित तथा संजीदा नहीं हो पाता। ऊपर से अभिभावकों का दबाव जमाने की रफ्तार के हिसाब से अंग्रेजी सीखने पर होता है। यह विचार ही उसकी मातृभाषा के सहज शिक्षण को प्रभावित करता है और उसके सीखने की क्षमता में विकास की जगह अवरोध पैदा करता है।

सूचनात्मक ज्ञान से लादने के बजाय यदि अवधारणात्मक, सोच और समझ पर बल दिया जाए और मातृभाषा के शिक्षण पर बल दिया जाए तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत बेहतर होंगे। संयोग से हमारे सामने ऐसी पीढ़ी है जिसने छठीं कक्षा से दूसरी भाषा (अंग्रेजी सीखी और उत्कृष्ट प्रदर्शन करती रही है) किंतु हम उस अनुभव से सीखना नहीं चाहते। भारत की भावी पीढ़ी तथा भविष्य को भाषाओं के दलदल में झोंककर उसकी अधिगम क्षमता को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। मातृभाषा के साथ पर्यावरण (पास-परिवेश) तथा संख्यात्मक ज्ञान विद्यार्थी की अधिगम क्षमता की नींव के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि प्राथमिक स्तर पर उसे भी मातृभाषा में परोसने की बात की गयी है। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा (मातृभाषा) तथा वही माध्यम भाषा के रूप में अनिवार्यतः लागू किया जाए, फिर देखिए भारतीय मानस और उसकी मेधा।

बुनियादी ज्ञान, समझ, भाषा का बार-बार प्रयोग या अभ्यास करने से वह चेतना में स्थायित्व ग्रहण करता है। भाषा और माध्यम भाषा में वही बारंबारता उसे अधिगम के क्षेत्र में पुष्ट करती

है। यदि भाषा तक केंद्रित रहकर पूरा समय दिया जाए तो निश्चित ही अपेक्षित परिणाम मिलेगा। दूसरी-तीसरी भाषाओं को शामिल करने से बारंबारता का क्रम टूटता है, समय का विभाजन होता है और भाषा सीखने का मानसिक केंद्र भी विभाजित होता है। यही कारण है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी का सीखना नीरस, उबाऊ तथा बोझिल हो जाता है। उसकी रुचि और उत्साह में कमी आने लगती है और पारिवारिक दबाव उसकी अधिगम क्षमता को क्षीण करता है।

निष्कर्ष

मूलतः यह शोध कार्य पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संदर्भ में

किया गया एक व्यवस्थित प्रयास है। ऐसी आशा है कि इससे प्राप्त निष्कर्षों व सुझावों का प्रयोग माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी की पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिन पुस्तकों की विशेष रूप से समीक्षा की गई है उनके नवीन संस्करण लाकर उनकी उपादेयता को भी बढ़ाया जा सकता है। शोध में शिक्षकों, विद्यार्थियों और विशेषज्ञों के विचारों को भी ध्यान में रखा गया है। इसमें बहुत से सुझाव ऐसे भी हैं जो सेवाकालीन हिंदी शिक्षक-प्रशिक्षण हेतु उपयोगी सिद्ध होंगे। दूसरे सुझाव पाठ्यपुस्तक निर्माण और पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।

संदर्भ

राजभाषा नियम 1976 https://rajbhasha.gov.in/hi/ol_rules_197
https://rajbhasha.gov.in/hi/constitutional_provisions